Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 16/2020

Sawista Begum .... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	27.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद (आँगनबाड़ी) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के द्वारा मार्गदर्शिका–2019 के कंडिका–12 का पालन नहीं किये जाने के विरूद्ध किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मार्गदर्शिका–2019 में अंकित दिशा–निर्देश के अनुरूप सेविका का चयन नहीं किया गया तथा पंचायत नामावली–2016 के मतदाता सूची के वार्ड सं0–09 में नाम दर्ज रहने तथा पोषक क्षेत्र से बाहर रहने के बावजूद भी गलत ढ़ंग से विपक्षी सं0–04 नसरीन बेगम को चयन पत्र निर्गत कर दिया गया। उक्त चयन के विरूद्ध इनके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर के समक्ष परिवाद पत्र समर्पित किया गया जिसमें उन्होंने आदेश ज्ञापांक–440/अमौर दिनांक–03.10.2019 द्वारा विपक्षी सं0–04 बीबी नसरीन बेगम के चयन को सही मानते हुए इनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध इनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष अपील दायर किया गया। जिसमें लंबे समय तक कोई आदेश पारित नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। जबकि निम्न न्यायालय को 45 दिनों के अंदर आदेश पारित करना चाहिए था। विपक्षी सं0–04 का नाम वार्ड सं0–02 में दर्ज नहीं है बल्कि इनका एवं इनके पूरे परिवार का नाम वार्ड सं0–09 में दर्ज है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–57 दिनांक–19.10.2018 में स्पष्ट अंकित है कि बीबी नसरीन बेगम का घर वार्ड सं0–09 के मतदाता सूची में दर्ज है तथा उनके द्वारा बाढ़ राहत अनुदान की राशि भी प्राप्त किया गया है। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा स्वीकार किया गया है कि विपक्षी सं0–04 का नाम पंचायत निर्वाचन नामावली–2016 में नहीं है। इस प्रकार विपक्षी सं0–04 का चयन मार्गदर्शिका–2019 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध किया गया है। इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। विपक्षी सं0–04 बीबी नसरीन बेगम को सूचना निर्गत किये जाने के	

Web Copy Not Official.

		बावजूद भी उनके द्वारा सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ने पत्रांक–1035 दिनांक–19.02.2022 द्वारा तथ्य विवरणी समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि श्रीमति क्रमशः	
	लगातार 27.09.2023	सविस्ता बेगम द्वारा सेविका के चयन में अनियमितता के विरूद्ध बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर द्वारा समय–सीमा के अंदर परिवाद पत्र पर आदेश पारित नहीं किये जाने पर चयनमुक्ति से संबंधित है। सभी पक्षों को नोटिस निर्गत कर विधिवत् सुनवाई की गई। जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर द्वारा पत्रांक–440 दिनांक–30.10.2019 के आदेश में अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए चयन को यथावत् रखा गया है। तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए विभागीय मार्गदर्शिका–2019 की कंड़िका–05 में स्पष्ट अंकित है कि यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी अथवा उनके पति या ससुर का नाम पंचायत निर्वाचन नामावली में छूट गया तो उनका या उनके पति या ससुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव के उक्त वार्ड के मतदाता सूची में अंकित रहने पर उनका चयन किया जा सकता है। साथ ही मार्गदर्शिका–2019 में उत्तरवादी के ससुर के सरकारी नौकरी में रहने पर उन्हें सेविका पद हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। पंचायत आम निर्वाचन नामावली–2011 के वार्ड सं0–02 के क्रमांक–68 पर अभ्यर्थी एवं चयनित सेविका के पति गुलाम सरवर उर्फ सरवर आलम, ससुर–कुवांद अली का नाम क्रमांक–60 पर एवं सास–इकनी बेगम का नाम क्रमांक–61 पर दर्ज पाया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा कार्यालय ज्ञापांक–825 दिनांक–08.05.2020 द्वारा चयन समिति के निर्णय एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर का आदेश ज्ञापांक–440 दिनांक–03.10.2019 को यथावत् रखते हुए अपीलार्थी के अपील वाद को खारिज किया गया है। आवेदिका एवं विपक्षी सं0–01 (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया) को सुनने तथा निम्न न्यायालय अभिलेख एवं संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष आवेदिका के लंबित अपील का ससमय निष्पादन नहीं किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। निम्न न्यायालय अभिलेख अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष लंबित अपील वाद सं0–25/2019 में पक्षकारों की सुनवाई करते हुए ज्ञापांक–825 दिनांक–08.05.2020 द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने चयन समिति के निर्णय एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर के आदेश ज्ञापांक–440 दिनांक–03.10.2019 को वैध पाकर यथावत् रखते हुए आवेदिका के अपील आवेदन को खारिज किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त के आलोक में आवेदिका द्वारा दायर पुनरीक्षण वाद	

Web Copy Not Official.

		स्वतः ''निष्फल'' (Infructuous) हो जाता है। फलतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.